संख्या 446 / III(3)/07–704(सी.आर.एफ.)/2006

प्रेषक,

प्रदीप सिंह रावत,
उप सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता स्तर–1
लोक निर्माण विभाग,
देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग–3

देहरादूनः दिनांक 20 अगस्त, 2007

विषयः वित्तीय वर्ष 2007–08 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–22 लेखा शीर्षक–5054 आयोजनागत मद में केन्द्रीय सड़क निधि के कार्यों हेतु प्राविधानित धनराशि की द्वितीय किश्त अवमुक्त करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय आपके पत्र संख्या 2279/15 बजट(के.स.नि.)07–08, दिनांक 12.07.2007 तथा शासनादेश संख्या 242/III(3)/07–704(सी.आर.एफ.)/2006 दिनांक 04.05.2007 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2007–08 में केन्द्रीय सड़क निधि के अन्तर्गत प्राविधानित अवशेष रु0 450.00 लाख (रूपये चार करोड़, पचास लाख मात्र) की धनराशि के व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. स्वीकृत की जा रही धनराशि का योजनावार आंवटन कर सूचना एक माह के भीतर शासन को उपलब्ध करायी जायेगी। स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण यथा आवश्यकता ही किया जायेगा।
3. स्वीकृत की जा रही धनराशि के विपरीत प्रतिपूर्ति हेतु भारत सरकार को धनराशि का उपयोग कर तत्काल उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्रेषित कर प्रतिपूर्ति सुनिश्चित की जायेगी।
4. उक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग केवल उन्हीं सड़को के निर्माण पर ही किया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार करके निर्धारित समयान्तर्गत वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन/भारत सरकार को उपलब्ध कराया जायेगा, यदि पूर्ण धनराशि के उपयोग के दो माह के अन्दर उपयोगिता प्रमाण–पत्र भारत सरकार को भेजना सुनिश्चित नहीं करने के कारण भारत सरकार से प्रतिपूर्ति में विलम्ब होता है तो इसका समस्त दायित्व सम्बन्धित अभियंता का होगा।
5. व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो, उनके व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त करली जाय। निर्माण कार्य पर व्यय करने से पूर्व प्रत्येक कार्य के आगणनों/पुनरीक्षित आगणनों पर प्रशासनिक एवं वित्तीय अनुमोदन के साथ–साथ विस्तृत आगणनों पर सक्षम अधिकारी की टैक्निकल स्वीकृति भी अवश्यक प्राप्त कर ली जाय।

6. स्वीकृत की जा रही धनराशि का भारत सरकार द्वारा निर्धारित भौतिक/वित्तीय प्रगति के लक्ष्य के अनुरुप इस धनराशि का उपभोग भी वित्तीय वर्ष में दिनांक 31.03.2008 तक कर लिया जायेगा। कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियंता पूर्ण रुप से उत्तरदायी होंगे।

7. आगामी किश्त भारत सरकार से धनराशि अवमुक्त होने एवं वित्तीय लक्ष्य बढाने पर ही दी जायेगी।

8. व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। अतः व्यय करते समय मितव्ययता के सम्बन्ध में समय–समय पर जारी शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

9. उक्त कार्य करते समय भारत सरकार द्वारा दिशा–निर्देशों का अनुपालन भी किया जायेगा। व्यय अनुमोदित दरों पर ही किया जायेगा। कार्य निर्धारित समय में ही किया जायेगा और विलम्ब के लिये या लागत वृद्धि के लिए सम्बन्धित अभियंता उत्तरदायी होंगे।

10. स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31.03.2008 तक पूर्ण उपयोग सुनिश्चित कर लिया जाय और उक्त धनराशि के विपरीत मासिक व्यय का विवरण भारत सरकार को प्रेषित किया जायेगा।

11. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2007–08 के लेखा अनुदान में अनुदान संख्या–22 के लेखा शीर्षक – 5054– सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय –04 जिला तथा अन्य सड़कें–आयोजनागत– 800–अन्य व्यय–04 केन्द्रीय सड़क निधि से किया गया कार्य–00–24 वृहत निर्माण कार्य के नामें डाला जायेगा।

12. यह आदेश वित्त विभाग के अ.शा. 273/XXVII(2)2007 दिनांक 09 अगस्त, 2007 में उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(प्रदीप सिंह रावत)
उप सचिव।

पृ.सं.446 (1)/ III(3)07 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार (लेखा प्रथम), उत्तराखण्ड, इलाहाबाद/देहरादून।
2. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. मुख्य अभियंता स्तर–2, लोक निर्माण विभाग, कुमायूं/गढवाल, अल्मोड़ा/पौड़ी।
4. आयुक्त गढ़वाल/कुमायूं मण्डल, पौडी/नैनीताल।
5. समस्त जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. अपर सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन।
7. सम्बन्धित अधीक्षण/अधिशासी अभियंता, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड।
8. वित्त अनुभाग–2/वित्त नियोजन प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड शासन।
9. लोक निर्माण अनुभाग 1 व 2, उत्तराखण्ड शासन। राष्ट्रीय सूचना केन्द्र सचिवालय परिसर
10. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(प्रदीप सिंह रावत)
उप सचिव।

G.O CRF-23

20207010.P012